विभागीय अधिसूचना कमांक सं. एफ 6(28)रेव–6/2014/पार्ट/16 दिनांक 31.10.2014 का हिन्दी अनुवाद।

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

सं. एफ 6(28) रा.6/14/पार्ट/28 जयपुर, दिनांक : 24/7/2015

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू–राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू–राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 9 का संशोधन.–** राजस्थान भू–राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 9 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

"(2) जहां विकासकर्त्ता उसे आवंटित किसी भी क्षेत्र या क्षेत्र के भाग को और पट्टाकृत क्षेत्र में के उसके हित को पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा के जनन के प्रयोजन के लिए उप–पट्टा करने का इच्छुक है वहां रा.न.ऊ.नि. की सिफारिश पर कलक्टर द्वारा उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। अन्तरिती प्रति वर्ष पचास प्रतिशत अतिरिक्त पट्टा किराया का संदाय करेगा।"

(ii) उप–नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पवन ऊर्जा फार्म" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विंड फार्म, पवन ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क और सौर ऊर्जा संयंत्र" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

सं. एफ 6(2) रेवे.6/2001/ 28 जयपुर, दिनांक : 24/7/2015

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को इस विभाग के समसंख्यक अंग्रेजी अधिसूचना दिनांक 01.07.13 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय(स्वतन्त्र प्रभार) राजस्व विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
7. निबंधक , राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायाधीश पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली।
9. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 24/7/15 में प्रकाशन हेतु।
11. "राविरा" राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
12. उप निबन्धक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव